

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Kolhan Title (Partition) Suit No.- 06/2012-13

रघुमणि गौड़

बनाम

डिबरू गौड़।

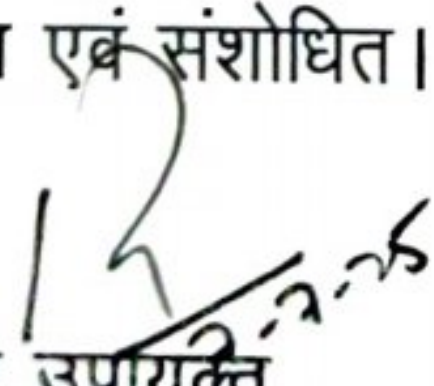
आदेश

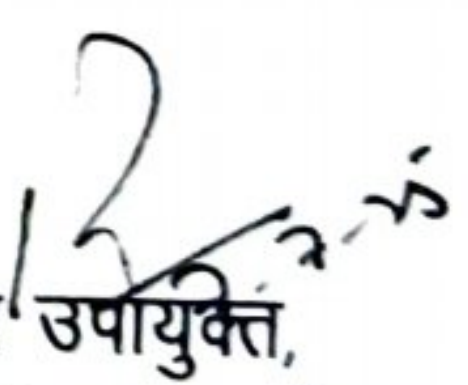
यह वाद दिनांक- 16.07.2012 को रघुमणि गौड़, पिता- स्व० दशरथ गौड़ एवं अन्य, ग्राम- मालीडु, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र में वर्णित Partition of Joint family properties and for separate possession in respect of suit- lands के लिए प्रतिवादी डिबरू गौड़ एवं अन्य, ग्राम- मालीडु, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। वादी रघुमणि गौड़ के द्वारा शपथ पत्र संख्या- 48 दिनांक- 14.05.2025 दाखिल कर सूचित किया गया है कि इस वाद में वादीगण प्रतिवादीगण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चाईबासा के मध्यस्थता केन्द्र में सुलह कर लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के आलोक में वादी पक्ष वाद को वापस लेना चाहते हैं एवं आगे नहीं लड़ना चाहते हैं।

अतः उक्त परिस्थिति एवं वादी के शपथ पत्र के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा